रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 1990/अग्रहायण 23, 1912
No. 315] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 1990/AGRAHAYANA 23, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 105 आई टी सी (पी एन)/90-93

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1990

विषय :—जापान सरकार द्वारा विस्तारित 1989-90 के लिए 439.276 मिलियन येन (439.276,000 येन) की जापानी अनुदान सहायता (ऋण-राहत) के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आयातों के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तें।

फाइल सं. आई पी सी/23/(68)/90-93:—जापान सरकार द्वारा विस्तारित 1989-90 के लिए 439.276 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता (ऋण-राहत) के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आयातों पर लागू होने वाली शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं जिन्हें सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 105. आई टी सी (पी एन)/90-93, दिनांक 14 दिसम्बर, 1990 का परिशिष्ट

जापान सरकार द्वारा विस्तारित 1989-90 के लिए 439.276 मिलियन येन (439.276,000) की जापानी अनुदान सहायता (ऋण-राहत) के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आयातों के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तें।

खण्ड—1

1(1) जापान सरकार द्वार दी गई 439.276 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता ओ ई सी डी तथा विकासशील देशों के लिए खुली है। तदनुसार, इस

अनुदान सहायता के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं तथा उससे संबंधित सेवाओं का आयात जापान तथा अनुबन्ध-1 की सूची में दिए गए सभी देशों से किया जा सकता है जोकि इस अनुदान के अन्तर्गत पात्र स्त्रोत देश होंगे। इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयात की जा सकने वाली पात्र वस्तुओं की सूची उपाबन्ध-2 में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर "1989-90 के लिए 439 276 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता" लिखी होगी। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड "एस/जे एन" होगा। इसे मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा प्रेषित आयात लाइसेंस के पत्र में भी पुनः लिखा जाएगा।

1(3) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्त्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्त्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(4) निर्यात लाइसेंस लागत बीमा-भाड़ा आधार पर जारी किया जाएगा जोकि आरम्भ में 120 महीने के लिए वैध रहेगा। लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए लाइसेंसधारी के संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पक्के आदेश जापान तथा उपाबन्ध-1 में उल्लिखित अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा मूल्य के आधार पर दिए जाने चाहिए तथा (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने के भीतर) अवर सचिव (जापान), आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लांक नई दिल्ली को अवश्य भेज दिये जाने चाहिए। "पक्के आदेशों" का अर्थ भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी संभरक के पुष्टिकरण आदेश से विधिवत् प्रमाणित हो या दोनों भारतीय आयातक तथा विदेशी संभरक द्वारा ही विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो। विदेशी संभरकों द्वारा भारतीय अभिकर्ताओं को दिए गए आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीने के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबंद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह तिथि 31-12-1991 के बाद की न हो।

खण्ड—2

संभरक ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें।

2(1)(क) ठेके का लागत भाड़ा मूल्य येन या अमेरिकी डालर या पाउण्ड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेंट या एक पेनी से कम भिन्न के बिना अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो, तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपये में चुकाया जाना चाहिए। भारतीय रुपये या अन्य किसी मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है लेकिन ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का भार वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त धनराशि होगी।

(ख) ठेके में नकदी आधार पर अर्थात् जापानी संभरकों द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो में पोतवहन दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है, जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(3) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिक या पात्र स्त्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए वैध व्यक्ति होंगे।

खण्ड—3

संभरक ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

3(1) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान के बीच 1989-90 के लिए 439.276 मिलियन येन को अनुदान सहायता से संबंधित दिनांक 6-7-90 के ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र" के माध्यम से किए जाएंगे जिसे सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बी-विंग, 5 वां तल, जनपथ भवन, नई दिल्ली—110001 द्वारा 1989-90 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो के पक्ष में जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे जो एक ओर भारत सरकार द्वारा तथा दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हों।

3(4) जहां संभरक जापान में स्थित हों, वहां वे भारतीय राजदूतावास के साथ परामर्श करके पोतलदान की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया हो और इस उद्देश्य से वह शामिल माल की डिलीवरी के कार्यक्रम के बारे में भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचित करता रहेगा और कम से कम छः हफ्ते पहले अपेक्षित पोतलदान की अधिसूचना भारतीय दूतावास को देगा ताकि समुचित व्यवस्था की जा सके। अपवाद स्वरूप अगर आयातकर्ता चाहे तो नोटिस की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक प्रत्येक पोतलदान के बाद आयातकर्ता को केबल द्वारा आवश्यक ब्यौरे की सूचना देने के लिए भी सहमत होगा तथा उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जाएगी।

खण्ड—4

भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुदान।

4(1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की 4 प्रतियों या विदेशी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश सहित या संबद्ध बैंक आयात लाइसेंस की दो प्रतियों तथा सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-3 के प्रपत्र में "ए/पी जारी करने के आवेदन" की दो प्रतियों सहित अवर सचिव (जापान) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए। उपयुक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

4(2) संविदा दस्तावेज "ए/पी जारी करने के आवेदन तथा अन्य संबद्ध दस्तावेज सुव्यवस्थित पाये जाने पर वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) संविदा का अनुमोदन करेगा तथा उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक-एक सैट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, भारत के दूतावास, टोकियो तथा भारत में जापान के दूतावास को भी भिजवाएगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त हो जाने पर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, बी-विंग, 5 वां तल, जनपथ भवन, नई दिल्ली—110001 विदेशी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को अनुबन्ध-4 में दिए गए प्रपत्र में एक "भुगतान प्राधिकारी पत्र (ए/पी)" जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रतियां भारत के राजदूतावास टोकियो, आयातक, भारत में आयातक बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजी जाएंगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो जापान सरकार, भारत का राजदूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

4(5) पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी संभरक को अपने बैंकरों के माध्यम से रिलीज करेगा।

4(6) विदेशी संभरक को एपी के संबंध में सलाह देने तथा भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को देय बैंकिंग प्रभारों का भुगतान भारत में आयातकर्ता के संबंधित बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से बैंक आफ इण्डिया टोकियो को धन परेषण द्वारा तय किया जाएगा। तथापि, सरकारी विभागों के मामले में भारत के राजदूतावास, टोकियो द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को बैंकिंग प्रभारों का भुगतान किया जाएगा तथा इसे संबंधित विभागों के नाम डाला जाएगा।

खण्ड—5

रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

5(1) मूल पराक्राम्य पोत परिवहन दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबंधित बैंक को भेजे जाएंगे जो कि भारतीय स्टेट बैंक या अनुबन्ध-3 में (ग) पर यथा उल्लिखित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा होगी जो संबंधित आयात को पराक्राम्य जहाज-

राती दस्तावेज रिहा करने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जापानी संभरक को चुकाई गई येन/अमरीकी डालर/पौंड/स्टर्लिंग भुगतान की समतुल्य रुपये की धनराशि के बराबर रुपया जहां देय हो ब्याज के प्रभारों सहित उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपये जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं. -31 आई टी सी (पीएन) / 83, दिनांक 10-8-83 और 35-आईटीसी (पीएन) / 83 दिनांक 26-8-83 की शर्तों के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेख में रुपया जमा किया जाता है, देय है, देखिए, सार्वजनिक सूचना सं. येन/अमरीकी/डालर/पाउण्ड स्टर्लिंग के भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो या जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। इस संबंध में और ब्याज की दर के संबंध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेवारी होगी कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि अपने ऋणदाताओं से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है : यह सुनिश्चित करने के लिए आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही अब वे विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों से मूल पोत-परिवहन दस्तावेज के बिना ही माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह के डिपाजिट्स एण्ड एडवान्सिज—8443 सिविल डिपाजिस्टस -डिपाजिस्ट्स फार परचेजिज अटस्ट्र एब्राड परचेज अण्डर, ग्रांट ऐडफोम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1989-90 (येन 439.276 मिलियन ग्रांट एंड डेब्ट रीलिफ) तथापि, सरकारी विभागों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

5(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में चालान के ऊपर दाहिनी ओर कोने में कोड सं. 513000000 का संकेत देते हुए या ऐसा संभव न हो तो भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी अन्य-पंगी शाखा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक (ड्रायर) से डिमाण्ड ड्राफ्ट लेकर उसे भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली-7 (ड्रायी एण्ड पेयी) को अदा किया जाए लिखकर सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं. 184-(आईटीसी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-68 और सं. 132 आई टीसी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-1971, सं. 74-आई टी सी (पी एन) / 74 दिनांक 31-5-1974-तथा सं. 103—आईटी सी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा-निर्धारित रूप में जमा होना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसा किया जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारत में संबद्ध बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीख से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा। जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132—आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-1971 तथा साथ ही 103-आईटीसी (पी एन) /76 दिनांक 12-10-1976 के साथ पठित सार्वजनिक सूचना सं 74—आई टी सी (पी एन) /71 दिनांक 31-5-1974 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण" और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से निविष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के "प्रधिकार पत्र" की संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं।

(ग) जापानी संभरक को भुगतान करने कि तिथि।

(घ) अदा किए गए ब्याज की राशि और अवधि जिसके लिए गिना गया है।

(ङ) कुल जमा राशि।

(ब्याज की गणना जापानी संभरक को अदायगी की तारीख से और उस तारीख तक जिस तारीख को समकक्ष रुपया सरकारी खाते में जमा कराया है, की जाएगी। तथापि सरकारी विभागों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

उसके पश्चात् सी. ए. ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए प्राधिकार का सन्दर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत-परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी. ए. ए. एण्ड ए. को भेजा जाना है।

टिप्पणी :—भारत में आयातक बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक

टोकियो की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेज की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और वह कि उसके तत्काल बाद सी. ए. ए. एण्ड ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा ।

5(4) भारत में संबद्ध भारतीय बैंक की लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धन राशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए ।

खण्ड—6 विविध व्यवस्थाएं

6. (1) आयात लाइसेंस का उपयोग करने की रिपोर्ट।

**संभरक को की जाने वाली अदायगियों की राशि और तारीख को सुनिश्चित करने के लिए आयात को अलग से व्यवस्था करनी होगी। आयातक के बैंक द्वारा देर या विलम्ब से प्राप्त पोत परिवहन इत्यादि प्रलेखों की प्राप्ति के रुपया निक्षेप राशि पर देय ब्याज राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से माफ करने का कारण नहीं माना जाएगा ।

6(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में सूचित करना

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से आयातक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालते हों ।

6(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी । भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबन्ध-1 में "भुगतान की शर्तों" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद को निपटान से सम्बन्धित शर्तें शामिल होनी चाहिए ।

6(4) भविष्य अनुदेश :—

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उत्पन्न किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित जापान से वर्ष 1989-90 के लिए प्राप्ति होने वाले सहायता अनुदान के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा ।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी।

6(6) अनुबन्धों की सूची :—

1. अनुबन्ध—1 पात्र स्त्रोतों देशों की सूची
2. अनुबन्ध —2 पात्र वस्तुओं की सूची
3. अनुबन्ध—3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना-पत्र
4. अनुबन्ध —4 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का प्रपत्र ।

**शेष राशि के सम्बन्ध में किए गए भुगतान तथा पोतलदान संबंधी प्राधिकार-पत्र जारी करने के बाद आयातक को सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली को मासिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए ।

उपाबन्ध—1

पात्र स्त्रोत देशों की सूची

क. ओ ई सी डी देश:—
आस्ट्रेलिया
बेलजियम
कनाडा
डेनमार्क
फिनलैण्ड
फ्रांस
जर्मन संघ गणराज्य
ग्रीस
आइसलैण्ड
आयरलैण्ड
इटली
जापान
लक्जेमबर्ग
नीदरलैण्ड
न्यूजीलैण्ड
नार्वे
पुर्तगाल
स्पेन
स्वीडन
स्विट्जरलैण्ड
टर्की
यूनाइटेड किंगडम और
यूनाइटेड स्टेट्स

ख. विकासशील देश तथा क्षेत्र

(ख- 1) गैर-ओपेक विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा :
मिश्र
मोरको
ट्यूनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा :
अंगोला
बोत्सवाना
बुरुण्डी
कैमरून
केप वर्दे द्वीप समूह
मध्य अफ्रीकी गणराज्य
चाड
कोमोरो द्वीप समूह
कांगों गणराज्य
दहोमे (1)
भूमध्यरेखीय गिनी
इथोपिया
गैम्बिया
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
केन्या
लैसोथो
लाइबेरिया
मालागासे गणतन्त्र
मलावी
माली
मारिटानिया
मारीशस
मोजाम्बिक
नाइजर
पुर्तगाली गिनी
रियूनियन
रोडेशिया
रुवांडा
सेंट हेलिना और द्वीप (2)
साओ टोमो और प्रिंसिपी
सेनेगल
सेचिलीज
सीयरे लिओन
सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैण्ड
टेरो आफार्स और इलास
टोगो
यूगाण्डा
तंजानिया गणतंत्रीय संघ
अपर वोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अमेरिका, उत्तरी और केन्द्रीय :
बहामास
बारबोडोसेन
बेलीज
बरमूडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणराज्य
एलसल्वाडोर
गुआडेलोप
ग्वाटेमाला
हैटी
हाण्डूरास
जमैका
मारीटिनिक
मैक्सिको
नीदरलैण्ड्स एण्टीलिस
निकारागुआ
पनामा
सेंटपियरे और मिकेलोन
ट्रिनिडाड और टूबेगो
वैस्टइंडीज (शाखा) एन एण्ड ई
(क) सह-सम्बद्ध राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरिका :
अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाकलैण्ड द्वीप समूह
फ्रांस गिनी
गुयाना
पराग्वे
पीरू
सुरिनाम
यूरुगवे

5. मध्य पूर्वी एशिया :
बहरीन
इजाइल
जोर्डन
लेबनान

(1) पहले स्पेन गिनी का प्रदेश, फरनाडो पो द्वीप सहित।

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित : एस्केन्सन, ट्रिस्टन डा, इनएक्सेसिबल्स, नाइटिनेगेल, गफ।

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरुबा, बोनाइरे, क्यूराकाओ, साहा, सेंट यूस्टेशिट, सेंट मैटिन (दक्षिणी भाग)।

ओमान
सिरियाई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन, जनवादी का डी.आर. (4)

6. दक्षिण एशिया :
अफगानिस्तान
बंगला देश
भूटान
बर्मा
मालद्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया :
बरनई
हांग-कांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया लाओस का गणतंत्र
मकोआ
मेलेलिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमेर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. काक द्वीप समूह :
फिजी
गिलबर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिस पोलिनेशिया (5)
नारू
न्यू केलेडोनिया
न्यू हैब्रिसिस (ब्रा. और फ्रा.)
ह्यिू
प्रशान्त द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा.)
टोंगो
वालिस और फुतूना
पश्चिमी सामोआ

9. यूरोप :
साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीस
माल्टा
स्पेन
टर्की
यूगोस्लाविया

(ख-2) ओपेक के सदस्य या सहयोगी देश :

अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियन अरब गणराज्य
गैबोन
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेनेजुएला
ईरान
इराक
कुवैत
कतर
सऊदी अरब
अलबानिया
इण्डोनेशिया

---

(1) मुख्य दीप : एण्टिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट किट्स (सेंट क्रिस्टोफो), नेविस अंगुइला, सेण्ट लुसिया और सेंट विसेंट ।

(2) मुख्य द्वीप : मोन्सेसरन्त, गेमान, तुर्क और काइकोस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह ।

(3) अजमन, दुबई, फुजीराह, रास अलखेमाह, शारजाह और अम्मा अल क्वेवायन ।

(4) अमन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।

(5) सोसाइटी आईलैण्ड्स समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टूआमेंटू-गोम्बियर ग्रुप और मारकोस द्वीप समूह ।

(6) प्रशांत द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश : कैरोलीन द्वीप, मार्शल द्वीप समूह तथा मेरिना द्वीप समूह (गॉम को छोड़कर) ।

उपाबन्ध—2

पात वस्तु सूची

1. रॉल्स
2. इस्पात, विशेष इस्पात और मिश्र धातु इस्पात सहित ।
3. ट्रक, ट्रैक्टर, हल्के वाणिज्यिक वाहनों तथा दो पहिया वाहनों के विनिर्माण के लिए संघटक, सम्बद्ध तथा अतिरिक्त पुर्जे ।
4. रसायन

5. जापान से सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा भारत जापान संयुक्त उपक्रमों के लिए अतिरिक्त पुर्जे, संघटक तथा कच्चे माल ।

6. पावर टिलरों के लिए संघटक, संबद्ध तथा अतिरिक्त पुर्जे ।

7. मशीनरी, संघटक, उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे तथा कच्चा माल ।

8. लघु क्षेत्र के लिए मशीनरी तथा उपस्कर ।

9. तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए मशीनरी, उपस्कर तथा अतिरिक्त पुर्जे ।

10. उर्वरक तथा ऐसी अन्य मदें जिन पर आपसी सहमति हो ।

उपाबन्ध—3

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र"

संख्या————

सेवा में

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
"बी" विंग, 5वां तल, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली ।

विषय:—1989-90 के लिए 439.276 मिलियन येन की जापानी ऋण-राहत सहायता के अन्तर्गत आयात ।

महोदय,

अपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से ·····के आयात के संबंध में हम निम्न-लिखित विवरण इसलिए भेज रहे हैं कि आप सम्बद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी कर सकें:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और जब तक यह वैध है ।

(ग) अधिप्राप्ति के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित है या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इस मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण ।

(ङ) माल का उद्गम देश ।

(च) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) ।

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि (येन में) ।

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है ।

(झ) संभरकों के साथ की गई संविदा का नाम और दिनांक ।

(ञ) संभरक का नाम और पता ।

(ट) वे भुगतान और संभावित तिथि जिनको संविदाओं के अंतर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ठ) माल की सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियां ।

(ड) बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दर्शाते हुए) ।

(ढ) पोतलदान अनुदेश (अनुमेय या गैर अनुमेय वाहनान्तरण/आंशिक पोतलदान निर्दिष्ट कीजिए) ।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

(त) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और यदि हां तो ऐसी संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य ।

(थ) भारतीय पत्तन जिसे उपस्कर/माल भेजे जाने हों ।

उपाबन्ध—4

संख्या

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक ऑफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान) ।

विषय:—439.270 मिलियन येन की जापानी ऋण-राहत अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयात-प्राधिकार-पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ दिनांक ····· को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा (परिशिष्ट में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) सर्वश्री ·····को अधिकतम ····· येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दे और इस सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार संभरकों को भुगतान परिशिष्ट में यथा सांकेतिक लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. विदेशी संभरक को भुगतान करते समय (आयातक) के बैंक का नाम और पता)————————सभी मूल पोत परिवहन दस्तावेज जिसके साथ (पराक्रम्य) और अतिरिक्त दस्तावेजों का पूरा सेट और संभरक को अदायगी के लिए नामे बीजक की प्रति, जिसमें अदायगी यदि कोई हो, भेजी जानी चाहिए।

5. आपको आयातक द्वारा दस्तावेजों के रख-रखाव के प्रभारों सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े का निर्धारण भारतीय दूतावास टोकियो/आयातक बैंक द्वारा किया जाएगा। तथापि भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा विभागों से संबंधित बैंकिंग भाड़े का भुगतान बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को किया जाएगा तथा इसे संबंधित विभागों के नामे डाला जाएगा।

6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेजों आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाए तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

8. यह भुगतान प्राधिकार पत्र————————तक वैध रहेगा।

9. कृपया उस संख्या का उल्लेख करें जो इस अधिकार पत्र के शीर्ष पर दी गई है, इसे संविदा से संबंधित सारे पत्राचार और बीजक में भी अदायगी दर्शाते हुए लिखा जाए।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक ————————————को उसके पत्र सं. ————दिनांक ————के संदर्भ में।

2. आयातक के बैंकर————————(i) यह प्राधिकार-पत्र येन अनुदान के अंतर्गत आयातों को शासित करने वाली संबंधित लाईसेंस शर्तों के तहत जारी किया गया है। लाईसेंस शर्तों और संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं/आदेशों आदि को देखें और आयात/विदेशी भुगतान के संबंध में उचित कार्रवाई करें।

(ii) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी संभरक को येन/अमेरिकी डालर/पाउण्ड भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। समुद्रपार संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 113-आई टी सी (पी एन)/88-91 दिनांक 6-4-88 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार समुद्रपार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की निश्चित दर पर की जाएगी। प्रथम 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 18% वार्षिक दर से ब्याज जो कि संभरक को भुगतान की तारीख और जिस तारीख को समतुल्य रुपया सरकार के लेखों में जमा किया जाए उन दो अवधियों के बीच की अवधि के लिए संगणित करके उसे भी सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 और सार्वजनिक सूचना सं. 35—आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 26-8-83 और के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा कराना है। ब्याज दोनों दिनों के लिए देय है अर्थात वह दिन जब समुद्रपार संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तारीख भी जब भारत सरकार के लेखे में रुपया जमा कराया जाता है (जब भी इस दर में कोई परिवर्तन किया जाए उसे सूचित कर दिया जाएगा)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात पराक्रम्य दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कर ली जाए तथापि, सरकारी विभागों द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(iii) ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी दिल्ली में चालान के दाहिनी ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा या उसकी उप शाखाओं या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक (आदेशक) से प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 (आदेशिती और आदाता) में देय हो, के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 23 आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-1968, सं. 132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-1971, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और 103-आई. टी. सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-1976 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। वह लेखा शीर्ष जिसमें रुपया जमा कराना है "के डिपोजिटस एण्ड एडवांसिज-8443- सिविल डिपाजिट फॉर परचेजिज एटसेट्रा अवरोड, परचेजिज अण्डर ग्रांट एंड क्रास दि गवर्नमेंट ऑफ जापान" फार 1989-90 (येन 439.276 मिलियन ग्रान्ट एंड डैब्ट रीलिफ)

(iv) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी

दिल्ली में सार्वजनिक सूचना संख्या 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाए उन मामलों में चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजनी चाहिए, जिसके साथ बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक अग्रेषण पत्र होना चाहिए:—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
बी विंग, 5 वां तल जनपथ भवन,
नई दिल्ली—110001.

(v) जिन मामलों में तुल्य रुपया उपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में जमा किए गए तुल्य रुपये निर्धारित दर पर ब्याज पर की राशि और वह अवधि जिसके लिए ब्याज गिना गया है, का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

(vi) बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा के बैंक प्रभार और विदेशी संभरकों के बैंकरों के प्रभार, यदि कोई हों, तो वे भारतीय बैंक और बैंक ऑफ इंडिया टोकियो शाखा के बीच सीधे तय किए जाने चाहिए।

(vii) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर के रूप में बैंक के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों में विनिर्दिष्ट किया गया है। इस संबंध में 5-10-1989 के ए. डी. परिपत्र सं. 18 की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. भारतीय दूतावास, टोकियो।

4. अवर सचिव, (जापान), वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली—110001 को आई. डी. सं.————————/जापान दिनांक ————————के संदर्भ में।

(लेखा अधिकारी)

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 105-ITC (PN) /90-93

New Delhi, the 14th December, 1990

Subject : Licensing Conditions in respect of Public Sector Imports under Japanese Grant Aid of Yen 439.276 Million (Y 439,276,000) (Debt-Relief) for 1989-90 extended by the Government of Japan.

File No. IPC/23 (68) /90-93).—The terms and conditions governing Public Sector Imports under Japanese Grant Aid of Yen 439.276 Million (Debt-Relief) for 1989-90 extended by the Government of Japan, are contained in the Appendix to this Public Notice and are notified for information.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller
R. K. SOOD, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 105 ITC (PN) /90-93

New Delhi, the 14th December, 1990

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER JAPANESE GRANT AID OF YEN 439.276 MILLION (439,276,000) (Debt Relief) FOR 1989-90 EXTENDED BY THE GOVERNMENT OF JAPAN

Section I—General Conditions :

I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 439.276 Million extended by the Government of Japan is untied in favour of CEOD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 439.276 Million Japanese Grant Aid for 1989-90. The licence code for the first and second suffix will be "S"/JN". These will also be repeated in the letter from the GCI&E forwarding the import licence.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agent in India. Such payments' however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity period of 12 months. For extension of the validity period of the licence, the period licence should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I (v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (Jap.) Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the letter or purchase contract only sigend by both the Indian importer and the Overeas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confrmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (vi) This condition of the placement of contracts within 4 months will be created as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1 (v) above can not be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why orders could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit by the licensing authorities who may grant further extension for a maximum period of

4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licence.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-91.

Section II—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract.

II (i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar on Pound Sterling without fraction less than one yen, one cent or one penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis on whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (iii) Eligibility of Supplier

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III

The following provision shall be specifically incorporated in the supply contract :—

III (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 6-7-1990 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 439.276 Million for 1989-90 and will be subject to the approval of Government of India.

III (ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' A|P which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, B-Wing, 5th Floor, Janpath Bhawan, New Delhi-110 001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1989-90.

III (iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III (iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV Contract Approval by Govt. of India.

IV (i) As soon as the orders are finalised, the licencee should forward to the Under Secretary (Jap.), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the Overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the request for issue of A|P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (ii) If the contract documents "Request for issue of A|P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV (iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, B-Wing, 5th Floor, Janpath Bhawan, New Delhi-100 001 will issue an 'Authorisation to Pay (A|P)' to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A|P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV (v) The foreign supplier shall, after effecting shipment, present through his banker, the documents specified in the A|P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A|P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of

India's account. However, in case of Government Departments, the banking charges are payable to B.O.I., Tokyo by the Embassy of India, Tokyo and then debited to the Departments concerned.

Section V—Responsibility for rupee deposit.

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's Bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (o) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen|US$|Pound sterling payments made to the supplier alongwith interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10th August, 1983 and No. 35-ITC (PN)|83 dated 26th August, 1983. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74 ITC(PN)|74 dated 31st May, 1974 as modified under Public Notice No. 103 ITC(PN)|76 dated 12th October, 1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen|US$|£ Payment will be prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 113-ITC(PN)|88—91 of 6th April, 1989 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licencee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited in to the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-8443-Civil Deposits-Deposits for purchases etc, abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1989-90 (Yen 439.276 Million Grant Aid-Debt-Relief). However, no interest is payable by Government Departments.

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 513000000 on the right hand corner of the challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30th August, 1968, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24th October, 1968 and No. 132-ITC(PN)|71 dated 5th October, 1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12th October, 1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of Service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the chalan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5th October, 1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dt. 31st May, 1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12th October, 1976 is invariably indicated in the column full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversation adopted.

(c) Date of payment to the foreign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(f) Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account. However, no enterest is payable by Government Department.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note.—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and sent the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section-VI—Miscellaneous Provisions

VI (i) Report on the utilisation of the import licence.

**The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importers Banker will not be

acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the importers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI(iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1989-90 from Japan.

VI(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI(vi) List of Annexures

Annexure-I—List of eligible source countries.

Annexure-II—List of eligible commodities.

Annexure-III—Form of Request for issue of Authorisation to pay (A|P).

Annexure-IV—Form of letter of Authorisation to pay (A|P).

**The importer should send a monthly report, after the A|P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Janpath Bhavan, Janpath, New Delhi.

ANNEXURE-I.

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. OECD Countries
- Australia
- Belgium
- Canada
- Denmark
- Finland
- France
- The Federal Republic of Germany
- Greece
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Luxembourg
- the Netherlands
- New Zealands
- Norway
- Portugal
- Spain
- Sweeden
- Switzerland
- Turkey
- The United Kingdom and the United States

B Developing Countries & Territories

(b1) Non-OPEC Developing Countries

I. Africa, North of Sahara
- Egypt
- Morocco
- Tunisia

II AFRICA, SOUTH OF Sahara
- Angola
- Benin
- Botswana
- Burundi
- Camaroon
- Cape Vards Islands
- Central a African Rep
- Chad
- Comoro Islands
- Congo, People's Republic of
- Dahcmay (1)
- Equatorial Guinea
- Ethopia
- Gambia
- Ghanan
- Guinea
- Ivory Coast
- Kenya
- Lesothe
- Libaria
- Malagasy Republic
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Mozambique
- Niger
- Portuguese Guinea
- Peunion
- Rhodesia
- Rwanda
- St. Heleta and Dep (2)
- Sao Tome and Principee
- Senegal
- Seychelles
- Sieura Leone
- Somalia
- Sudan
- Swaziland
- Terro, Afars and Issas
- Togo
- Uganda
- Un. Rep. of Tanzania
- Upper Volta
- Zaire Republic
- Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea including the Island of Ferneudo PO.

(2) Including the following islands; Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bomaire, Curacao, Saha, St. Eustacit, St. Baltin Southern Part).

III AMERICA, North and Cent
Bahamas
Barbodosen
Belize
Barmuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvader
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Hoduras
Jamaica
Martinique
Maxico
Netherlands Atilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tabago
West Indies (Br.) n. e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Fulkland Islands
French Guiana
Guyana
Paragusy
Peru
Surinam
Uruguay

V ASIA, Middle East
Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Amirates (3)
Yemen Ram Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII ASIA, Far East
Burnei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timer
Vietnam Rep. of
Viet-Nam Dam, Rep.

VIII. Cock Islands
Fiji
Cilbert & Ellice I
French Pelynesia (5)
Nauru
New Caledenia
New B Hebrices (Br. and Fr.).
Hieu
Pecific Islands (US (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tongo
Wallis and Futuna
Western Samca

IX. EUROPE
Cyrus
Gibralter
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) Member of Associate Countries of OPEC
Algeria
Belivia
Libyan Arab Republic
Gabot
Nigeria
Ecuader
Venezula
Iran
Iraq
Kuwalt
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

(1) Main Islands: Antique, Dominica, Grenanda, St. Kittis (St Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent,

(2) Main Islands : Montserrat, Cayman, Truks and Caicos, and British, Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fugairah, Ras al Khaiman, Sharjah and Ummal Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultantes and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti) The Austral Islands, the Tuametu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the pacific Islands : Ceroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

ANNEXURE-II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

1. Rolls.
2. Steel including special steel & Alloy steel.
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks, tractors, light commercial vehicles and two wheelers.
4. Chemicals.
5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Ventures.
6. Components, attachments and spares for power tillers.
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials.
8. Machinery and equipment for the Small Scale Sector.
9. Machinery, equipment and spares for the Oil & Natural Gas sector.
10. Fertiliser and such other items as may be mutually agreed upon.

ANNEXURE-III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs.
B-Wing, 5th Floor.
Janpath Bhawan.
New Delhi-110001.

Subject : Import under the Japanese Debt-Relief Aid of Yen 439.276 Million for 1989-90.

Sir,

In connection with the import of—————— from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

(a) Name and Address of the Indian Importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement-whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods

(f) Gross C&F value of contract (in Yen)

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen) if any, payable in Indian Rupees.

(h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.

(i) Name and date of the contract with suppliers.

(j) Name and address of the Suppliers.

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo, (incl. indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment/ partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of the importer's Bank in India.

(p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

(q) Indian port to which the equipment/materials are to be shipped.

ANNEXURE-IV

No.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Japanese Debt-Relief Grant Aid of 439.276 Million—Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated————entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen————to M/s.————(as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of this authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign suppliers, you should send to————(Name & address of importer's Banker) all the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the suppiier including the down payment if any.

5. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India Tokyo/Importers Bank. However, the banking charges in res-

pect of Government Departments will be payable to B.O.I., Tokyo by the Embassy of India, Tokyo and debited to the Departments concerned.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

7. No amendments to A|P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

8. The A|P will remain valid upto————

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to Pay in all correspondence relating to the contract and also in the advice showing ing payment.

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer ————————with reference to letter No.————————dated

2. Importers' Banker————

(i) This authorisation to pay is issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected Public Notices| Orders etc. may be referred to an appropriate action taken concerning the import| foreign payments.

(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen|US$|£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo, Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 113-ITC(PN)|88—91 dated 6-4-1989 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @12 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 18 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-1983 and No. 35-ITC(PN)|83 dated 26-8-1983. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be notified if and when made) It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance. However, on interest is payable by Government Departments.

(iii) These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 23-ITC(PN)|68 dated 24-10-1988, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances 8443 CIVIL Deposit for purpose etc. abroad. Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1989-90 (Yen 439.275 Million Grant Aid-Debt Relief).

(v) One copy of the challan in original in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), B-Wing, 5th Floor Janpath Bhawan, New Delhi-I.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-86 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest at the rate prescribed and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

(viii) The Banks' duties and responsibilities as authorised Dealer in Foreign Exchange are prescribed in various A.D. circular of the Reserve Bank of India. Specific references in this regard is invited to A.D. Circular No. 18 dated 5-10-1989.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The under Secretary (Jap.) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi-110001 with reference to AD No. |Jap dt.

Accounts Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Contorller of Publications, Delhi-110054, 199?